मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के समस्त अधिकारियों, आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालकों/तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/ सहायक यंत्रियों एवं संभाग स्तर के मण्डी सचिव के साथ दिनांक 09/03/2026 को आयोजित समय-सीमा समीक्षा बैठक का कार्ययाही विवरण-

--00--

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के समस्त अधिकारियों, आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालकों, तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्रियों के साथ प्रबंध संचालक सह-आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 09/03/2026 को प्रातः 10.30 बजे से मण्डी बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल स्थित सभाकक्ष में समय-सीमा समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल के समस्त अधिकारी, आंचलिक कार्यालयों से संयुक्त संचालक/उप संचालक, तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री एवं संभाग स्तर के मण्डी सचिवों द्वारा वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे। बैठक में समीक्षा उपरांत निम्नानुसार निर्देश दिए गए:-

(01) **सरसों भावांतर योजना की समीक्षा** :-

सरसों भावांतर भुगतान के पंजीयन की समीक्षा में पाया गया कि **रीवा एवं शहडोल संभाग** के रीवा, सतना, मैहर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, मऊगंज, अनूपपुर जिला, **सागर संभाग** के दमोह, सागर, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ जिला, **भोपाल संभाग** के राजगढ़, विदिशा, बैतूल जिला, **उज्जैन संभाग** के देवास, शाजापुर, मंदसौर, आगर-मालवा जिला, **जबलपुर संभाग** के कटनी, बालाघाट, पांढुर्रना जिला तथा **ग्वालियर एवं चम्बल संभाग** के ग्वालियर, अशोकनगर, शिवपुरी, भिण्ड, मुरैना, दतिया जिलों में सरसों के अनुमानित उत्पादन से अधिक रजिस्ट्रेशन होना प्रकाश में आया है, इस सबंध में सभी संयुक्त संचालक/उप संचालक, मण्डी बोर्ड, आंचलिक कार्यालयों से चर्चा की गई तथा डॉ. निरंजन सिंह, तकनीकी सलाहकार को पंजीयन के डॉटा वाट्सअप ग्रुप पर शेयर करने के निर्देश दिए गए ताकि सभी आंचलिक अधिकारी गड़बडियों की समीक्षा कर सकें। इन जिलों के कलेक्टर्स एवं संभागीय कमिश्नर को सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की ओर से पत्र लिखकर रजिस्ट्रेशन कराने वाले कृषकों के खसरा/रकबा की छानबीन/जांच कराने तथा सिकमी/बटाईदार किसानों के रजिस्ट्रेशन/ सत्यापन की गड़बडियों पर अंकुश लगाने हेतु संयुक्त संचालक(नियमन), मण्डी बोर्ड, भोपाल को नस्ती प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियां जो कि सीमावर्ती बॉर्डर से लगी हुई हैं, उनमें अन्य राज्यों से सरसों की आवक होने संबंधी संभावनाएं हैं, जिस पर विशेष ध्यान देने की

आवश्यकता है। इन मण्डी क्षेत्रों में सरसों की बोनी, उत्पादन एवं पंजीयन के आंकड़ों की सूक्ष्मता से जांच कर खरीदी पूर्व आवश्यक रोकथाम करने, फसल गिरदावरी के आधार पर सरसों के पंजीयन में अप्रत्याशित वृद्धि के कारणों की समीक्षा करने तथा गत वर्ष एवं इस वर्ष के फसल गिरदावरी के आंकड़ों की समीक्षा कर गड़बड़ियों को चिन्हांकित कर उसकी रोकथाम करने के सभी संयुक्त संचालक/उप संचालक, मण्डी बोर्ड, आंचलिक कार्यालयों को निर्देश दिए गए।

संयुक्त संचालक, मण्डी बोर्ड आंचलिक कार्यालय ग्वालियर तथा श्री नरेश परमार, सहायक संचालक, मण्डी बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल को निर्देशित किया गया कि वे ग्वालियर एवं चम्बल संभाग की उन मण्डियों का जिसमें बड़ी मात्रा में सरसों की आवक होती है, की व्यवस्थाओं का 10 दिवस के भीतर सूक्ष्म स्थल निरीक्षण करें तथा ग्वालियर, चम्बल संभाग की प्रायः सभी मण्डियों का भ्रमण कर मूलभूत आवश्यकताओं एवं व्यवस्थाओं के संबंध में विशेष निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन मण्डी बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल को शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

श्री रोहणी प्रसाद चक्रवर्ती, संयुक्त संचालक, मण्डी बोर्ड, आंचलिक कार्यालय सागर द्वारा सुझाव दिया गया कि ई-मण्डी पोर्टल के भुगतान मॉड्यूल में प्रवेश के समय दर्ज आवक की मात्रा देखने की सुविधा उपलब्ध कराई जावे तथा प्रवेश पर दर्ज आवक से अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक के भुगतान पत्रक की मात्रा का प्रावधान ई-मण्डी पोर्टल में किया जावे, इससे प्रवेश की मात्रा से अधिक भुगतान पत्रक की मात्रा पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। प्रवेश एवं भुगतान पत्रक के वास्तविक वजन के संबंध में तकनीकी सलाहकार को सुझाव का परीक्षण कर वस्तुस्थिति सहित नस्ती प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

भावांतर योजना अंतर्गत मण्डी/उपमण्डी प्रांगण में सरसों खरीदी की तैयारी हेतु कार्यालयीन पत्र क्र./ई-1108392 दिनांक 06.03.2026 से सभी संयुक्त संचालक/ उप संचालक, मण्डी बोर्ड, आंचलिक कार्यालयों को दिशा-निर्देश प्रसारित किए गए हैं, जिसके अनुरूप समयावधि में व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावे। जिन मण्डियों में सरसों की आवक आना है, उन मण्डियों में पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे उपलब्ध हों, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके संबंध में श्री एस.के. कुमरे, संयुक्त संचालक(नियमन) को भावांतर योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने के निर्देश दिए गए।

(02) <u>सोयाबीन भावांतर योजना की समीक्षा</u> :-

डॉ. निरंजन सिंह, तकनीकी सलाहकार द्वारा बताया गया कि कृषकों के सोयाबीन भावांतर भुगतान से संबंधित 2500 प्रकरण पेंडिंग हैं, जिसमें से एन.आई.सी. की टीम द्वारा इस सप्ताह 105 प्रकरणों का निराकरण किया है। लंबित भुगतान प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए निर्देशित किया गया कि एन.आई.सी. को पत्र लिखा जावे कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार एन.आई.सी. टीम के अधिकारी मण्डी बोर्ड में बैठकर सोयाबीन भावांतर योजना की तकनीकी समस्याओं का निराकरण करें। इंदौर संभाग की कृषि उपज मण्डी सांवेर में 500 कृषकों को भावांतर योजना का लाभ प्राप्त नहीं होने के संबंध में श्रीमती प्रवीण चौधरी, उप संचालक, इंदौर को वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। श्री संजीव अग्निहोत्री, प्रोग्रामर एवं डॉ. निरंजन सिंह, तकनीकी सलाहकार को निर्देशित किया गया कि एफ.ए.क्यू. गुणवत्ता, मोबाइल नम्बर डुप्लीकेसी, एक से अधिक रजिस्ट्रेशन, भुगतान पत्रक से संबंधित तकनीकी त्रुटियों को शीघ्रता से मण्डीवार सूची वाट्सअप ग्रुप पर साझा करें तथा आंचलिक कार्यालयों/संबंधित मण्डियों से डॉटा की पुष्टि उपरांत शीघ्रता से कार्यवाही पूर्ण कर पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए गए।

(03) <u>सी.एम. हेल्पलाइन की समीक्षा</u> :-

सी.एम. हेल्पलाइन शिकायतों की संभागवार समीक्षा करने पर एल-1 पर 378, एल-2 पर 238, एल-3 पर 1354 एवं एल-4 पर 100 इस प्रकार कुल 2070 शिकायतें पेंडिंग पाई गई, जिसमें से सोयाबीन भावांतर योजना से संबंधित एल-1 पर 261, एल-2 पर 184, एल-3 पर 958 एवं एल-4 पर 45 इस प्रकार कुल 1448 शिकायतें पेंडिंग पाई गई। शाखावार समीक्षा करने पर स्थापना शाखा में 13, वित्त शाखा में 08, प्रांगण शाखा में 04, निर्माण शाखा में 02 एवं नियमन शाखा में 01 शिकायत पेंडिंग पाई गई। संभागवार भोपाल संभाग में 509, इंदौर संभाग में 275, उज्जैन संभाग में 208, ग्वालियर संभाग में 173, सागर संभाग में 100, जबलपुर संभाग मं 32 एवं रीवा संभाग में 06 शिकायतें पेंडिंग पाई गई।

जो व्यक्ति पात्रता रखता है, तो शीघ्रता से आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुए सी.एम. हेल्पलाइन का निराकरण हो, आवश्यक होने पर शिकायतों की समयावधि में जांच पूर्ण कराकर गुण-दोष व जांच निष्कर्षों के आधार पर लंबित शिकायतों का निराकरण किया जावे। भावांतर योजना से संबंधित पेंडिंग सी.एम. हेल्पलाइन एवं 04 वर्ष से अधिक समय की लंबित शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करने के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए।

(04) <u>ई.एच.आर.एम.एस. पोर्टल की समीक्षा</u> :-

ई.एच.आर.एम.एस. पोर्टल पर अधिकारी/कर्मचारियों की शत-प्रतिशत ऑनबोर्डिंग की समीक्षा की गई तथा निर्देशित किया गया कि कर्मचारी प्रोफाइल को अप्रूव करने का कार्य इस सप्ताह पूर्ण कर लिया जावे। अधिकारी/कर्मचारियों की जन्म तिथि एवं नॉमीनेशन फार्म की डॉटा एन्ट्री एवं सेवा-पुस्तिका की सही-सही डॉटा एन्ट्री/स्केनिंग हो, इसकी पुष्टि सभी संयुक्त संचालक/उप संचालक, मण्डी बोर्ड, आंचलिक कार्यालय सुनिश्चित करते हुए अधिकारी/कर्मचारियों की सेवा-पुस्तिका के अप्रूवल हेतु उत्तरदायी होंगे। उक्त कार्य आगामी 07 दिवस में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

(05) <u>सार्थक एप की समीक्षा</u> :-

सार्थक एप पर अनुपस्थित अधिकारी/कर्मचारियों को एस.एम.एस. के माध्यम से सूचना देने की व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए गए। सभी संयुक्त संचालक/ उप संचालक, मण्डी बोर्ड, आंचलिक कार्यालयों को निर्देशित किया गया कि सार्थक एप में 03 दिवस तक लगातार अटेण्डेंस नहीं लगाने वाले एवं कार्यालय देरी से आने वाले संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों की लिस्टिंग की जाकर संबंधितों के विरूद्ध नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जावे।

(06) <u>जिओ मैपिंग की समीक्षा</u> :-

भारत सरकार के एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड से निर्मित संरचनाओं/मशीनरी की जिओ मैपिंग संबंधी कार्य की समीक्षा करने पर इंदौर 597 में से 345 (57.79%), उज्जैन 840 में से 521 (62.02%), भोपाल 1484 में से 742 (50.00%), सागर 436 में से 67 (15.37%), ग्वालियर 872 में से 269 (30.85%), जबलपुर 737 में से 94 (12.75%), रीवा 609 में से 74(12.15%) कार्य हुआ है, जिस पर वन-टू-वन आंचलिक अधिकारियों से चर्चा कर कार्य की प्रगति ली गई। आंचलिक अधिकारियों द्वारा बताया गया कि होली त्यौहार के कारण कार्य बाधित हुआ है, जिसे शीघ्र ही पूर्ण करा लिया जावेगा। इस संबंध में आगामी 15 दिवस में जिओ मैपिंग का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

(07) <u>स्थानांतरण आदेश पालन की समीक्षा</u> :-

राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के अधिकारी/कर्मचारियों को उच्च पद के प्रभार व अन्य कारणों से प्रशासनिक आधार पर आसपास की रिक्त मण्डियों में स्थानांतरण किए गए हैं। संबंधितों के भारमुक्ति/उपस्थिति संबंधी आदेश के क्रियान्वयन के संबंध में सभी संयुक्त संचालक/उप संचालक, मण्डी बोर्ड, आंचलिक कार्यालय से प्रकरणवार चर्चा करने पर कतिपय अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा उच्च पद का प्रभार प्राप्त नहीं करने एवं नवीन स्थानांतरित स्थल पर उपस्थित ना होकर अवकाश/न्यायालय में जाने की जानकारी दी गई। इस संबंध

में सहायक संचालक(स्थापना) मण्डी बोर्ड, भोपाल को स्थानांतरण आदेश के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति के साथ नस्ती शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

(08) <u>इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटों की समीक्षा</u> :-

माननीय मंत्री जी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के साथ किसान संघ के पदाधिकारियों की बैठक में प्रदेश की कृषि उपज मण्डियों में 10 मै.टन इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा अनिवार्य रूप से स्थापित कराने की मांग की गई है। इस संबंध में मण्डी बोर्ड, भोपाल द्वारा कार्यालयीन पत्र क्र./ई-1052794/190 भोपाल, दिनांक 05/03/2026 से मण्डी/उपमण्डी प्रांगण में इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटों की स्थापना संबंधी नवीन निर्देश, अनुज्ञप्ति तथा करार के निबंधन की शर्तें निर्धारित की गई हैं। सभी संयुक्त संचालक/उप संचालक, आंचलिक कार्यालय एवं सभी कार्यपालन यंत्री, तकनीकी संभाग उक्त परिपत्र का भलीभांति अध्ययन कर अपने-अपने संभाग में मण्डीवार आवश्यकता का आंकलन कर 10 मै.टन क्षमता के इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे प्रथमतः बी.ओ.टी. आधार पर स्थापित करावें एवं 03 बार निविदा टेण्डर जारी करने के उपरांत यदि किसी ठेकेदार द्वारा भाग नहीं लिया जाता है, तब एम.ओ.टी. आधार पर 10 मै.टन क्षमता के इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे स्थापित कराने की कार्यवाही करते हुए पालन प्रतिवेदन मण्डी बोर्ड, भोपाल को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(09) <u>अन्य बिन्दुओं पर निर्देश</u> :-

1. समाचार-पत्रों में प्रकाशित नकारात्मक एवं असत्य खबरों का तथ्यों के साथ खण्डन करने के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए।
2. आगामी दिनों में मण्डी बोर्ड के संचालक मण्डल की 145वीं बोर्ड बैठक आहूत की जाना प्रस्तावित है, जिसमें मण्डी बोर्ड एवं मण्डी समितियों का वित्तीय वर्ष 2025-26 का पुनरीक्षित बजट एवं वर्ष 2026-27 का बजट अनुमान विचारार्थ रखा जावेगा। सभी अधिकारी अपनी शाखा से संबंधित संचालक मण्डल के समक्ष रखे जाने वाले प्रस्तावित एजेण्डा पर प्रबंध संचालक से अनुमोदन प्राप्त कर संक्षेपिका एवं विगत संचालक मण्डल में पारित निर्णय के क्रियान्वयन का पालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से एक सप्ताह में बोर्ड बैठक शाखा को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
3. मार्च, 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले सभी अधिकारी/कर्मचारियों के पेंशन अदायगी आदेश समय-सीमा में संबंधितों को प्रदाय करने के उप संचालक(वित्त), मण्डी बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल को निर्देश दिए गए।
4. आंचलिक संयुक्त संचालक/उप संचालक की समीक्षा बैठक दिनांक 12/03/2026 को आयोजित की गई है, जिसके स्थान पर उक्त बैठक दिनांक 13/03/2026 को आयोजित करने की सूचना जारी करने के संयुक्त संचालक(समन्वय), मण्डी बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल

को निर्देश दिए। सभी आंचलिक अधिकारियों को कृषि उपज मण्डियों के मण्डी फीस के निर्धारित लक्ष्य अनुसार आय-आवक का पावर पाइंट प्रजेन्टेशन बनाकर बैठक में लाने के निर्देश दिए गए।

उपरोक्तानुसार समय-सीमा पत्रों में शामिल प्रकरणों की प्रकरणवार समीक्षा की गई एवं पूर्ण कार्यवाही वाले प्रकरणों को समय-सीमा पत्रों की सूची से विलोपित किया गया।

धन्यवाद ज्ञापन उपरांत समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।

(कुमार पुरूषोत्तम)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क्र-बोर्ड/समन्वय/टीएल बैठक/मार्च/2026/2411 भोपाल, दिनांक 12/03/2026

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
2. अपर प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
3. अपर संचालक(वित्त), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
4. संयुक्त संचालक/अधीक्षण यंत्री/उप संचालक/कार्यपालन यंत्री/सहायक संचालक/सहायक यंत्री, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
5. संयुक्त संचालक/उप संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (समस्त) की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि बैठक में दिए गए निर्देशों को अपने स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित कर पालन प्रतिवेदन बिन्दुवार तैयार कर समय-सीमा में अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड तकनीकी संभाग (समस्त) मध्यप्रदेश।
7. भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति (समस्त) मध्यप्रदेश।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल